

# काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं तिथियाँ

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी: बालवाटिका-2 (L.K.G.)

सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, रा.गां.द.प., बरकछा, मिर्जापुर: बालवाटिका-3 (नर्सरी)

श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी: कक्षा-1

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल व सेन्ट्रल हिन्दू बॉयज स्कूल, कमच्छा, वाराणसी: कक्षा-6

**सत्र 2024–25**

## महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

- प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाईन फार्म के उपलब्ध होने की तिथि : 20 फरवरी 2024  
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि : 20 मार्च 2024  
ऑनलाईन आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि : 21 मार्च 2024 से 27 मार्च 2024

- ई-लॉटरी एवं चयनित अभ्यर्थी/प्रतीक्षा सूची/अन्य सूचना : 07 अप्रैल 2024  
प्रकाशित करने की तिथि

- प्रवेश की तिथि एवं समय:

### बालवाटिका-2, बालवाटिका-3 एवं कक्षा – 1

- (क) बी.एच.यू. के स्थायी/संविदा/दैनिक वेतनभोगी : 19 अप्रैल 2024 (प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक)  
कर्मचारियों एवं दिव्यांगवर्ग

- (ख) सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)

- प्रथम वरीयता सूची (मुख्य सूची) : 20 अप्रैल 2024 (प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक)
- द्वितीय वरीयता सूची (प्रतीक्षा सूची) : 22 अप्रैल 2024 (प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक)  
(रिक्त सीटों की स्थिति में)

### (ग) कक्षा – 6

- प्रथम वरीयता सूची (मुख्य सूची) : 23 अप्रैल 2024 (प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक)
- द्वितीय वरीयता सूची (प्रतीक्षा सूची) : 25 अप्रैल 2024 (प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक)  
(रिक्त सीटों की स्थिति में)

## काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विद्यालयों का विवरण

डॉ. एनी बेसेंट द्वारा सन् 1898 में स्थापित सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज की आधारशिला पर उद्घृत सेन्ट्रल हिन्दू बॉयज स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल वाराणसी शहर के हृदय-स्थल कमच्छा के विशाल भवनों में स्थापित हैं।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सेन्ट्रल हिन्दू बॉयज स्कूल, कमच्छा, वाराणसी के अंतर्गत राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बरकछा, मिर्जापुर में स्थित सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल संचालित किया जाता है।

इस विद्यालय में बाल वाटिका-3 (नर्सरी) से कक्षा-5 तक के बालकों एवं बालिकाओं के अध्ययन की व्यवस्था है। इस विद्यालय में नामांकन हेतु बालकों एवं बालिकाओं द्वारा आवेदन नर्सरी (बाल वाटिका-3) के स्तर पर आमन्त्रित किये जाते हैं।

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल का प्राथमिक अनुभाग कोलहुआ में स्थित महत्वपूर्ण भवन में चलता है, जहां बाल वाटिका-2 से कक्षा-5 तक की कक्षायें नियमित रूप से चलती हैं।

श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय की स्थापना सन् 1883 ई० में जम्मू कश्मीर के महाराजा श्री रणवीर सिंह द्वारा की गई थी। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा प्रताप सिंह के अनुरोध पर डॉ. एनी बेसेंट ने श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय को सन् 1901 ई० में सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेजिएट की प्रबंध समिति के अंतर्गत ले लिया। सन् 1911 ई० में सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज प्रबंध समिति की सभी चल-अचल सम्पत्तियों सहित श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय भी हिन्दू विश्वविद्यालय सोसाइटी के अंतर्गत आ गया। अप्रैल 1918 के पश्चात से वर्तमान समय तक विद्यालय का संचालन स्कूल बोर्ड, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के प्राइमरी अनुभाग में कक्षा-1 से कक्षा-5 तक की कक्षाएं NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से संचालित की जाती हैं जिसमें अध्ययन हेतु प्रवेश केवल कक्षा-1 में ही होता है।

## महत्वपूर्ण निर्देश

### I. आयु सीमा एवं वाछिंत अर्हताएँ

विद्यालय के नाम	कक्षा	31 मार्च 2024 को उम्र
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	बाल वाटिका—2	4 से 5 वर्ष अर्थात् जन्म तिथि 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक होना चाहिए।
सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, रा.गां.द.प., बरकछा, मिर्जापुर	बाल वाटिका—3	5 से 6 वर्ष अर्थात् जन्म तिथि 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2019 तक होना चाहिए।
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी	1	6 से 8 वर्ष अर्थात् जन्म तिथि 31 मार्च 2016 से 31 मार्च 2018 तक होना चाहिए।
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी एवं सेन्ट्रल हिन्दू बॉयज स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	6	अभ्यर्थी कक्षा 5 उत्तीर्ण हो तथा 31 मार्च 2024 को अभ्यर्थी की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष हो। अर्थात् जन्मतिथि 31.03.2012 से पहले तथा 31.03.2014 के बाद की नहीं होनी चाहिए।

### II. आरक्षण

विद्यालय के नाम	कक्षा	कुल सीटों की संख्या	आरक्षण कोटा
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	बाल वाटिका—2	120	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के लिए: 100% काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के प्रवेश के बाद शेष सीट पर आरक्षण निम्नवत है। दिव्यांगवर्ग(OH): 3% (क्षैतिज) अनुसूचित जाति: 15% अनुसूचित जनजाति: 7.5% अन्य पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर: 27% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):10%
सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, रा.गां.द.प., बरकछा, मिर्जापुर	बाल वाटिका—3	40	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के लिए: '50% काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के प्रवेश के बाद शेष सीट पर आरक्षण निम्नवत है। दिव्यांगवर्ग(OH): 3%(क्षैतिज) अनुसूचित जाति: 15% अनुसूचित जनजाति: 7.5% अन्य पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर: 27% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS):10%
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी	1	40	
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	6	60**	
सेन्ट्रल हिन्दू बॉयज स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	6	90**	

### **नोट:**

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थाई कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को प्रवेश में मिलने वाली सुविधा का विस्तार करते हुये यह सुविधा वर्तमान में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को भी दी जा रही है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित स्थानों पर स्थाई कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के उपरान्त बची शेष सीटों पर संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को प्रवेश दिया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत संविदा कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

\* \* न्यूनतम सीट उपलब्धता।

### **III. चयन प्रक्रिया**

1. सर्वप्रथम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी वर्ग के पुत्र/पुत्री का प्रवेश किया जायेगा।
2. **प्रथम चरण—दिव्यांग वर्ग (OH)** के अभ्यर्थियों का 3% सीटों (क्षेत्रिज) पर लॉटरी के द्वारा चयन किया जायेगा।
3. तत्पश्चात् निम्न प्राथमिकता क्रम के अनुसार शेष सीटों का आवंटन ई—लॉटरी के द्वारा किया जायेगा।

#### **a) द्वितीय चरण—**

- 1) कुल चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण से करने के उपरान्त शेष सीटों पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- 2) कुल चयनित अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण से करने के उपरान्त शेष सीटों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

**नोट:** अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की आरक्षित रिक्त सीटों को उपलब्ध अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के आपसी बदलाव के आधार पर भरा जा सकता है।

- 3) समस्त चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण से करने के उपरान्त शेष सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग—नान क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- 4) समस्त चयनित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण से करने के उपरान्त शेष सीटों पर अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

#### **b) तृतीय चरण—द्वितीय चरण के पश्चात शेष सीटें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवंटित की जायेंगी।**

4. प्रत्येक चरण या लॉट की अलग प्रतीक्षा सूची होगी।

**IV.** ई—लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के आवेदन में किसी भी स्तर पर कोई त्रुटि पायी गई तो चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

**V.** किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी प्रवेश के समय अपनी श्रेणी नहीं बदल सकते।

**VI.** चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि पर शुल्क न जमा करने पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा प्रतीक्षा सूची से प्रवेश ले लिया जायेगा।

**VII.** प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी प्रवेश के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से कुछ सीट रिक्त रह जाती हैं, तभी ई—लाटरी रैंक के क्रमवार उन्हें प्रवेश प्राप्त हो सकेगा।

### VIII. उम्मीदवारों के चयन के लिए ई-लॉटरी निकालने की प्रक्रिया में निम्नलिखित पद्धति अपनायी जाएगी :

1. लॉटरी के लिए पात्र उम्मीदवारों (विभिन्न वर्गों और श्रेणी के/कोटा वार) की सूची उस एजेंसी से प्राप्त की जाएगी जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने से संबंधित अपलोडिंग और अन्य गतिविधियों में सम्मिलित है।
2. आवेदन जमा करने की तारीख और समय के आरोही (बढ़ते) क्रम के अनुसार एजेंसी द्वारा प्रत्येक आवेदक को एक क्रम संख्या (1 से शुरू करके आवेदनों की कुल संख्या तक) आवंटित की जाएगी।
3. ई-लॉटरी की प्रक्रिया में उपरोक्त क्रम संख्या वाली सूची का ही उपयोग किया जाएगा।
4. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा एनालिसिस टैब में दिए गए रैंडम नंबर जेनरेशन टूल द्वारा सूची में उल्लिखित प्रत्येक उम्मीदवार हेतु एक समान वितरण के आधार पर शून्य से एक के बीच एक यूनिक रैंडम नंबर जेनरेट किया जाएगा।
5. किसी भी रैंडम (यादृच्छिक) चयन में चयन प्रक्रिया को इस प्रकार रखना महत्वपूर्ण है कि भविष्य में होने वाली जाँच (ऑडिट) में हम उसी परिणाम को पुनः प्रस्तुत कर सकें। यह पुनरुत्पादन चयन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण विशेषता है और इसलिए जब यादृच्छिक संख्या तालिका का मैन्युअल रूप से समान कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो यादृच्छिक प्रारंभ बिंदु (यादृच्छिक संख्या तालिका की पृष्ठ संख्या और उस पृष्ठ पर चयन के लिए गति दिशा के साथ आरंभिक यादृच्छिक बिंदु की पंक्ति संख्या और स्तंभ संख्या) का उल्लेख करना अनिवार्य है, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी चयनित इकाइयों का सत्यापन कर सके।
6. एमएस-एक्सेल में यह कार्य रैंडम सीड फीचर द्वारा किया जाता है। इसलिए, प्रत्येक लॉटरी हेतु रैंडम नंबर जेनरेट करने के लिए एक रैंडम सीड सेट किया जाएगा। इसे और पारदर्शी बनाने के लिए, लॉटरी के समय नंबर जेनरेट करने हेतु उपलब्ध दर्शकों से सीड नंबर बोलने के लिए कहा जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत रैंडम नंबर वाली पर्याप्त संख्या में पर्चियां एक बड़े कटोरे में रखी जाएंगी और दर्शकों में से किसी एक व्यक्ति से अनुरोध किया जाएगा कि वह कटोरे में रखी पर्चियों को आपस में गड़मड करके एक पर्ची निकाले। पर्ची निकालने के बाद उनसे पर्ची पर अंकित संख्या बताने के लिए कहा जाएगा ताकि इसे किसी विशेष लॉटरी प्रक्रिया के लिए सीड नंबर के तौर पर उपयोग किया जा सके।
7. जब चुनी हुई रैंडम सीड के अनुसार रैंडम नंबर जेनरेट होता है, तो जेनरेट किए हुए नंबरों को प्राप्तांक (स्कोर) मानते हुए अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाएगा। इस प्रकार, तैयार यह संक्षिप्त सूची योग्यता सूची मानी जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया में प्राप्तांकों का टाई (एक समान) होना अत्यंत दुर्लभ है। तथापि, यदि ऐसा होता है तो पात्रता निर्धारित करने हेतु विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी वर्तमान नियम पर विचार किया जाएगा।
8. प्रत्येक पाठ्यक्रम और श्रेणी के लिए दर्शकों द्वारा घोषित सीड नंबर को चयन प्रक्रिया की भावी जाँच (ऑडिट) के लिए प्रलेखित भी किया जाएगा।

## **IX. प्रवेश के समय प्रस्तुत करने के लिये दस्तावेज –**

1. कक्षा बालवाटिका-2, बालवाटिका-3, और 1 में प्रवेश के लिए: जन्म तिथि प्रमाण—पत्र जो नगर निगम द्वारा जारी हो/कुटुम्ब रजिस्टर की सत्यापित छायाप्रति जिसमें अभ्यर्थी का नाम अंकित हो, की माता/पिता/अभिवावक द्वारा प्रमाणित छायाप्रति प्रवेश के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
2. कक्षा 6 में प्रवेश के लिए: कक्षा 5 के अंक पत्र/स्थानांतरण प्रमाण—पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख होना चाहिए।
3. प्रवेश के समय सभी आरक्षित आवेदकों को अपनी सबंधित श्रेणियों में प्रमाण पत्र की मूल और स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी, जैसा कि आवेदन पत्र भरने के समय उल्लेख किया गया है। प्रमाण पत्र उपलब्ध न हाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। संदेहास्पद मामलों में प्रमाणपत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कराया जाएगा। यदि प्रमाणपत्र गलत/फर्जी पाया जाता है तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
  - क) यदि अभ्यर्थी के पिता/माता का.हि.वि.वि. के स्थायी/संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो एल.टी.सी. सेल/उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी कर्मचारी प्रमाण पत्र जिसमें अभ्यर्थी का नाम हो, प्रवेश/नामांकन के समय लाना अनिवार्य है।
  - ख) शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों (दिव्यांग—OH) को अपने जिले के सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये 'दिव्यांगता प्रमाण—पत्र' की मूल प्रति एवं सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जायेगा। इस वर्ग के अभ्यर्थियों को काशी हिन्दूविश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा जहाँ इनकी दिव्यांगता का सत्यापन/अनुमोदन होने के पश्चात ही इनका प्रवेश सुनिश्चित माना जायेगा।
  - ग) कर्मचारी वार्ड उम्मीदवार का प्रवेश प्रकृति में पूरी तरह से अनंतिम है। उनके कर्मचारी वार्ड प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की पुष्टि की जाएगी LTC सेल (स्थायी कर्मचारी के लिए) ED सेल (स्थायी के अलावा अन्य कर्मचारी के लिए) से।
  - घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़ड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को उनके प्रमाण—पत्र की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रवेश के समय जाति प्रमाण—पत्र मूल प्रति उपलब्ध न होने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थना निरस्त कर दिया जाएगा। संदेह की स्थिति में यह प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जायेगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी अधोलिखित हैं :—
    - (अ) जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/इक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/इक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिशनर।
    - (ब) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
    - (स) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।
    - (द) उस क्षेत्र का प्राखण्डिक अधिकारी (सब डिविजनल आफिसर) जहाँ पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यतया निवास करता हो। राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।
    - (य) प्रशासक/प्रशासक—सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)।

**नोट—** यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़ड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से सम्बन्धित संवर्ग का है तो उसकी जाति केन्द्र सरकार की परिनियमावली में दर्ज होना आवश्यक है और प्रमाण पत्र छह महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

**X. आवेदन पत्र :** विश्वविद्यालय ने इसके लिए [www.bhuonline.in](http://www.bhuonline.in) डोमेन नाम से प्रवेश परीक्षा पोर्टल तैयार किया है। इसका लिंक बी0 एच0 यू0 की वेबसाइट ([www.bhu.ac.in](http://www.bhu.ac.in)) पर भी उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2024–25 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन बनायी गयी है। तदनुसार, अभ्यर्थी ध्यान दें कि स्कूल एडमीशन( बालवाटिका\_2, बालवाटिका\_3, कक्षा 1 एवं कक्षा 6) 2024 आवेदन पत्र का विक्रय नहीं किया जाएगा (क्योंकि ॉफलाइन मोड नहीं होगा) और प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर नामांकन करना आवश्यक होगा तथा पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन—पत्र ऑनलाइन भरना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा पोर्टल ([www.bhuonline.in](http://www.bhuonline.in)) देखें या ([www.bhu.ac.in](http://www.bhu.ac.in)) देखें।

**नोट—** अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व भलीभूति सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन पत्र में वांछित सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं। प्रवेश/काउन्सलिंग के समय मूल प्रमाण पत्रों से उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं का सत्यापन किया जायेगा। जबतक वे अपेक्षित अर्हता शर्तें पूरी नहीं कर लेते, तब तक वे प्रवेश के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।

**XI. आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा :  
बालवाटिका\_2, बालवाटिका\_3, कक्षा 1 एवं कक्षा 6 के लिए –**

1. अनु0 जा0/अनु0 जन0 जा0 : ₹ 500.00
2. सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/का.हि.वि.वि. कर्मचारी वार्ड : ₹ 750.00

आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क भुगतान का तरीका अभ्यर्थी को आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरना है, क्योंकि मुद्रित सूचना पुस्तिका व आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय नहीं किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं।

**क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर पेमेंट गेटवे द्वारा उपलब्ध है।**

**नोट—**

- क) एससी/एसटी अभ्यर्थियों हेतु रियायती दर पर आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क सहित एक बार प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एससी/एसटी श्रेणी के अन्तर्गत ही विचार किये जायेंगे।
- ख) आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही दूसरे पाठ्यक्रम हेतु अन्तरित किया जायेगा तथा आगामी वर्षों के लिए आरक्षित भी नहीं होंगे।
- ग) काउन्सलिंग के लिए किसी भी अभ्यर्थी को अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। लाटरी मेरिट लिस्ट BHU के प्रवेश पोर्टल [www.bhuonline.in](http://www.bhuonline.in) पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना/अपनी मेरिट देखकर काउन्सलिंग के समय आवश्यक प्रपत्रों (मूल अंक पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा विद्यालय में प्रवेश हेतु भरे गए आवेदन पत्र की कापी) के साथ विद्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित रहें।
- घ) जिन छात्रों को स्कूल में प्रवेश मिलता है, उन्हें प्रवेश की तारीख पर PEN (Permanent Education Number) प्रदान करना होता है जो कि पिछले स्कूल के U- DISE पोर्टल द्वारा जारी किया जाता है।

**नोट : –** भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद सत्य माना जायेगा।